

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17-18/ १५०

दिनांक :- 18/11/18

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय :- Compliance report of construction of BT road from  
प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/6988/2014 (2.00 ha.) Ramgarh Kalapatta To  
Karbala Laxmipura RRSMP scheme in Rajasthan.

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर का पत्र क्रमांक व दिनांक  
09.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से  
सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों की बिन्दुवार  
पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की गई है :-

क्र.सं.		
बिन्दु संख्या 1	B- Compliance of EDS dated 15-07-2017 is awaited बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित भूमि की संलग्न KML FILE Polygon Shape में दी गई है। किन्तु उसमें गैर वनभूमि का विवरण नहीं दिया गया है। इसे सेगमेन्ट वाईज दी जानी प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी द्वारा बिन्दु संख्या 1 की पालना पूर्ण प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित भूमि की संलग्न KML FILE Polygon Shape में कर दी गई है। एवं उसमें गैर वनभूमि का विवरण दे दिया गया है। इसे सेगमेन्ट वाईज कर दिया गया है। जो प्रस्तावित है।
बिन्दु संख्या 2	बिन्दु संख्या 2 प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या C-(IV) में संलग्न भू संदर्भित मानचित्र में प्रत्येक सेगमेन्ट के सभी कानर्स के जी.पी.एस. कोर्डिनेट नहीं दिये गये हैं।	यूजर एजेन्सी द्वारा बिन्दु संख्या 2 प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या C-(IV) में संलग्न भू संदर्भित मानचित्र में प्रत्येक सेगमेन्ट के सभी कानर्स के जी.पी.एस. कोर्डिनेट अंकित कर दिये गये हैं।
बिन्दु संख्या 3	बिन्दु संख्या 3 प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले दी जाने वाली गैर वनभूमि का समयंकित विवरण (103.4 है० ) दिया गया है किन्तु इसमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त प्रस्ताव की प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले में गैर वनभूमि कहा दी गई है। एवं समयंकित की गई भूमि उक्त भूमि	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दी जाने वाली गैर वनभूमि के आदेश की प्रति एवं जिला कलक्टर, को प्रस्तुत की गई सडको कि सूची संलग्न है जिससे यह स्पष्ट होता है कि समयंकित की गई भूमि में उक्त प्रस्ताव की भूमि भी सम्मिलित है।

सम्मिलित है या नहीं। अधिशाषी अभियंता बारां को जिला कलक्टर को प्रस्तुत की गई सड़को की सूचि भी उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय



(राजीव कपूर)  
उप वन संरक्षक  
बारां

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17-18/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

(राजीव कपूर)  
उप वन संरक्षक  
बारां